कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर, (छ.ग.)

(dpmu.jas@gmail.com, cmohealth@gmail.com)

Ph No 07763223375, Fax No- 07763220654

क्रमांक /8280/ एन.एच.एम. / संविदा भर्ती / 2023–24 जशपुर, दिनांक 6/10/2023

/ / विज्ञापन / /

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / NHM / HR / 2023 / NS–48 / 328 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.05.2023 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / जिला स्वास्थ्य समिति जिला जशपुर के अन्तर्गत रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति की जानी है जिस हेतु तालिका में दर्शित रिक्त पदों की जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 6/11/2023 सायं 05:00 बजे तक **स्थान–कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) पिन कोड–496331** में निम्नानुसार आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

SN	Post Name	(Total Post) Vaccant	ST		SC		OBC		UR		Educational Qualification	Salary
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Staff Nurse (NBSU)	21	10	3	1	0	3	0	3	1	B.Sc. Nursing or GNM Course passed & Live registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16000/-
2	Community Health Officer	72	31 (1ph)	13	3	1	7	3	10	4	2.1 – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integreted Course) उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integreted Course) 2.2 – अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। छत्तीसगड़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में चयन के पश्चात् 45 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा।	16500/-

–:: चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश ::–

1. आवेदन पत्र के संबंध में:–

1.1. आवेदक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in में विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

1.2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 6/11/2023 को सायं 05 बजे तक **स्थान–कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) पिन कोड–496331** में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.3. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के अंतिम दिनांक के बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1.4. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित एक–एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है लिफाफे के उपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् आवेदित पद का नाम / श्रेणी (अनारक्षित, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.) स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी नहीं लिखने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

1.5. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

1.6. विज्ञापन जारी करने के उपरान्त निर्धारित तिथि को आवेदन प्राप्त ना होने पर विलंब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2. आयु सीमा :–

2.1 01 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिये। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जावेगी।

3. आवेदन शुल्क :–

3.1. आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ग	डीडी राशि
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा.	रू. 100=00
अपिव/महिला	रू. 200=00
अनारक्षित	रू. 300=00

3.2 प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति जशपुर (District Health Society, Non NRHM Fund Jashpur C.G.) के नाम से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलंग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क/डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3.3 आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना होगा एवं प्रत्येक आवेदित पद अनुरूप पृथक–पृथक आवेदन शुल्क देना होगा। एवं पृथक–पृथक डीडी संलग्न किया जाना होगा।

4. भर्ती प्रक्रिया :–

4.1. प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रुटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची/दावा आपत्ति निराकरण, कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in में चस्पा/प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in का अवलोकन करते रहें।

4.2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/एनएचएच/एचआर/2023/NS–421/353 नवा रायपुर दिनांक 09.05.2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पदों में प्रदेश के सभी अभ्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगें।

4.3. आवेदको को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.4. जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.5. पदों हेतु उच्च योग्यता धारी अभ्यर्थियों (पहले अंकित शैक्षणिक योग्यता) को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दिया जाएगा उसके उपरांत ही द्वितीय अंकित ((अथवा(Or) के बाद)) शैक्षणिक योग्यता धारी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।

4.6. उक्त प्राथमिकता कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षातकार/लिखित परीक्षा हेतु बनाये जाने वाले मेरिट सूची तक ही दी जावेगी।

4.7. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा–

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यार्थियों की सख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

4.8. दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :–

1. दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)

3. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
4. अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
6. संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
9. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आई.डी.)
10. अन्य संबंधित दस्तावेज।
11. सेक्यूरिटी गार्ड हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 से.मी. होगी। जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. समस्त पदो के अभ्यर्थियों का चयन उपरांत पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य / चयन सूची :-

5.1. निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन में से रिक्तियों के अधार पर पात्र अपात्र सूची तैयार कर निर्धारित अनुपात में अभ्याथियों को दस्तावेज सत्यापन / परीक्षा / चयन तथा साक्षात्कार आहूत किया जावेगा।

5.2. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक अधिकतम 10 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत् अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 15 अंक 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें। किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाये जाने पर अभ्यथियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

5.3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ1-67 / 2021 / सत्रह / एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।

5.4. अनुभव के अंको की गणना हेतु केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय शासन से वित्त पोषित का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व का ही मान्य होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय होना अनिवार्य होगा एवं अन्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव ही मान्य होगा।

5.5. अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा।

5.6. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र का नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्यानुभव को मान्य नहीं किया जायेगा।

5.7. प्रशिक्षण एवं निःशुल्क सेवा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुभव को मान्य नहीं किया जावेगा।

6. स्टॉफ नर्स / सीएचओ संवर्ग पदों हेतु -

6.1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत का - 50 प्रतिशत अंक।

6.2. अनुभव - 10 अंक / 15 अंक (जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक तथा गैर मितानिन अभ्यथियों को 02 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 10 अंक एवं एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को 03 अंक प्रतिवर्ष के मान से 15 अंक) प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक / 03 अंक / 04 अंक अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के अधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेगें।

6.3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र / एफ1-67 / 2021 / सत्रह / एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.

2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा। उक्त हेतु केवल शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का समकक्ष पदो के अनुभव तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किये प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।

6.4. उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोडकर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी।

6.5. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जावेगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।

स. क्र.	पदनाम	चयन आधार
1	Staff Nurse (NBSU), Community Health Officer	कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षातकार/लिखित परीक्षा

7. स्टॉफ नर्स/सीएचओ संवर्ग पदों हेतु –

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

8 भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :–

8.1 विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

8.2 केवल आवेदन कर देने मात्र से ही किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन का दावा मान्य नहीं होगा अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण या अन्य त्रुटि पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

8.3 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक आवेदन विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा ऑनलाईन आवेदन में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि ऑनलाईन आवेदन में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रूटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रूटि अथवा अपूर्णतः के आधार पर आवेदन बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसे अभ्यर्थी को दावा–आपत्ति का अवसर नहीं दिया जावेगा।

8.4 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको का 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा।

8.5 समान अंक या प्रतिशत प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

8.6 संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में 15 कार्य दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

8.7 आवेदन करते समय चाही गयी अविनार्य दस्तावेज का स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

8.8 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिये।

8.9 **संविदा मानदेय** :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

8.10 पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदो के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।

8.11 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

8.12 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

8.13 संविदा भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

8.14 संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।

8.15 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

8.16 चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

8.17 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

8.18 उपरोक्त पदों में किसी भी पद पर विवाद एवं समस्या की स्थिति उतपन्न होने पर उन पदों की भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाते हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथावत् जारी रहेगी।

8.19 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारुप

आवेदित पद का नाम	....
विज्ञापन अनुसार पद क्रमांक	....

स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें।

उक्त खण्ड ना भरे जाने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर, छ.ग.

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :..
2. (अंगेजी के कैपिटल अक्षर में) :..
3. पिता / पति का नाम :..
4. माता का नाम :..
5. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : वर्ष .... माह.................. दिन..................
   (ब) आयु 01.01.2023 की स्थिति में : वर्ष .... माह.................. दिन..................
6. जाति (सामान्य / अनु. जाति / जनजाति / अ.पि.वर्ग) :..
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. लिंग (पुरुष / महिला / अन्य) :..
8. छ.ग. का स्थानीय निवासी है या नहीं :..
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. क्या आप विकलांग श्रेणी के हैं (हां / नहीं) :..
   (विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार)
10. भूतपूर्व सैनिक हां / नहीं :..
    (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. स्थायी निवास का पता :..
    :..
    :..

    वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :..
    :..
    :..

    मोबाईल / दूरभाष नं ....
    ई मेल आई.डी..
12. रोजगार कार्यालय का नाम :..
    जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक :..
13. **आवेदन शुल्क –**
    (आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से District Health Society, Non NRHM Fund Jashpur के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि जशपुर में देय होगा, डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा।)
14. बैंक ड्राफ्ट का विवरण :– डी.डी. कमांक .... राशि ....
    बैंक का नाम .... दिनांक..................

क्रमशः......

15. **शैक्षणिक योग्यता :– (वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)**

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का प्राप्तांक	प्रतिशत्

16. क्या आप विवाहित है (हां / नहीं) ....

17. **संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या .... (निम्नांकित क्रम में संलग्न करें)**

1. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति
2. दसवीं / बारहवीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र
3. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
4. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
5. अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र
6. रोजगार पंजीयन
7. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
9. मूल निवास प्रमाण पत्र
10. विकलांग प्रमाण पत्र
11. भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधत प्रमाण पत्र
12. अन्य आवश्यक दस्तावेज।

–:: घोषणा पत्र ::–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान..............................

दिनांक...........................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..

पूर्ण पता..

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर (छ.ग.)